शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-5/2015/यू0ओ0 63/43-2-15-14/(29)/2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 07 सितम्बर, 2015

विषय : - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत नियुक्त जन सूचना अधिकारियों/अपीलीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु उनकी सूची उपलब्ध कराया जाना ।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-5 (1) में यह प्राविधान है कि प्रत्येक लोक प्राधिकरण द्वारा अपने अधीनस्त् सभी प्रशासनिक इकाईयों एवं कार्यालयों में आवश्यकतानुसार जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की जाये। इसी प्रकार अधिनियम की धारा-19 (1) में प्रत्येक लोक प्राधिकरण द्वारा अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति किये जाने का प्राविधान है।

2. भारत सरकार द्वारा समय समय पर अधिनियम के प्राविधानों को स्पष्ट करने हेतु शासनादेश व मार्गदर्शिकायें जारी की गयी है। तत्क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी शासनादेश तथा मार्गदर्शिकायें जारी की गयी है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधीन स्थित लोक प्राधिकरणों में नामित जन सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों, संबंधित शासनादेशों एवं मार्गदर्शिकाओं, केन्द्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग के सुसंगत निर्णयों तथा मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय के सुसंगत निर्णयों के बारे में यथोचित जानकारी दिया जाना आवश्यक है, ताकि उनके द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों तथा अपीलों का सुगमता से समयान्तर्गत निस्तारण किया जा सके व राज्य सूचना आयोग में दायर अपीलों एवं शिकायतों में कमी आ सकें।

3. उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के तहत समस्त लोक प्राधिकरणों में नामित जन सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों को शीघ्र ही प्रशिक्षण दिलाये जाने का निर्णय लिया गया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ द्वारा संचालित किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. प्रथम चरण में उपर्युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्न जन सूचना अधिकारी / अपीलीय अधिकारी भाग लेंगे : -

(अ) शासन के विभिन्न विभागों में नामित सभी जन सूचना अधिकारी / अपीलीय अधिकारी ।

(ब) प्रत्येक शासकीय विभाग के अधीनस्थ निदेशालय में मुख्यालय स्तर पर नामित सभी जन सूचना अधिकारी / अपीलीय अधिकारी ।

(स) प्रत्येक शासकीय विभाग के अधीनस्थ समस्त निगमों / सार्वजनिक उपक्रमों / आयोगों / संस्थाओं / परिषदों में मुख्यालय स्तर पर नामित सभी जन सूचना अधिकारी / अपीलीय अधिकारी ।

5. अत: इस संबंध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपर्युक्त प्रस्तर-4 में वर्णित जन सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों की सूची संलग्न प्रारूप पर तैयार करके दिनांक 15-09-2015 से पूर्व महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे प्रशिक्षण कार्यक्रम शीघ्र प्रारम्भ किया जा सके। उक्त सूची की एक प्रति प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को एवं एक प्रति सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग को भी उपलब्ध करायें ।

6. क़पया इस कार्य को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए समय पर पूरा करना सुनिश्चित करें ।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि समस्त विभागाध्यक्षों / निदेशालयों / सार्वजनिक उपक्रमों / संस्थाओं / परिषदों / आयोगों को इस आशय से प्रेषित कि वह अपने मुख्यालय पर नियुक्त जन सूचना अधिकारियों / अपीलीय अधिकारियों की सूची उपर्युक्तानुसार अपने विभागीय प्रमुख सचिव / सचिव के माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,

डा0 नन्द लाल
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

लोक प्राधिकरणों में राज्य जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों की सूची

विभाग का नाम -

विभाग के अधीन लोक प्राधिकरणों के नाम	प्रत्येक लोक प्राधिकरण में नियुक्त किये गये राज्य जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम, पता एवं दूरभाष	प्रत्येक लोक प्राधिकरण में नियुक्त किये गये प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, पता एवं दूरभाष

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।